

Crim-1
FORM NO III

फर्द अहकाम
(नियम 20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट निवाई टोंक

उनवान **तहसीलदार बनाम हनुमान**

किस्म मुकदमा : प्रा10पत्र 136

मुकदमा नम्बर **636/2025**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17.10.2025	<p>आवेदन अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 मय रिपोर्ट एवं सम्बन्धित दस्तावेजात के तहसीलदार निवाई की ओर से प्राप्त हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी के आवेदन का अवलोकन किया जिसमें प्रार्थी ने भूमि खाता संख्या 62, 87 वाके ग्राम दहलोद पटवार हल्का दहलोद तहसील निवाई की जमबान्दी संलग्न कर, अपनी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम रामचन्द्र/ रामचन्द्रा पुत्र भूरा के स्थान पर मोटा पुत्र भंवरलाल करवाने का निवेदन किया जिस पर पटवार हल्का दहलोद व भूअ.नि. करेडा बुजुर्ग की रिपोर्ट में भी प्रार्थी के पिता का नाम रामचन्द्र/रामचन्द्रा पुत्र भूरा के स्थान पर मोटा पुत्र भंवरलाल होना बताया जाकर, शुद्ध किया जाना उचित बताया गया है। तथा तहसीलदार निवाई द्वारा भी प्रार्थी के पिता का नाम रामचन्द्र/रामचन्द्रा पुत्र भूरा के स्थान पर मोटा पुत्र भंवरलाल शुद्ध किये जाने हेतु लिखा गया है। ऐसे में न्याय हित व भविष्य में अनावश्यक वादो की बढोतरी को रोकने के लिए इस पर विचार किया जाना उचित है।</p> <p>अतः आवेदन अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार निवाई/पटवार हल्का दहलोद एवं भूअ.नि. करेडा बुजुर्ग की रिपोर्ट के आलोक में स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम रामचन्द्र/रामचन्द्रा पुत्र भूरा के स्थान पर मोटा पुत्र भंवरलाल शुद्ध कर पालना से अवगत करावे।</p> <p>पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>W.</i></p>	